कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री कमल कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाई बडी, सरदारशहर जिला चूरू का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवदर जिला सिरोही किया गया था जिसके विरूद्ध श्री कमल कुमार शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15716/2019 कमल कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15716/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री कमल कुमार शर्मा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 10 दिवस के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के ह्रदय सम्बन्धी रोग से पीड़ित होने, स्थानान्तरित स्थान के करीब 700 किमी दूर होने एवं अपने वृद्ध माता–पिता के भी ह्रदय रोग से ग्रस्त होने तथा अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन चूरू जिले में प्रधानाचार्य के रिक्त पद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजासर पंवारान, सरदारशहर जिला चूरू में किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय, राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। **याचिकार्थी द्वारा स्वयं का दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने का अभिकथन किया गया है जिसके सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि वह राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी भगवान दास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में अवधारित किया गया है कि "So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he\she is posted. The plea of posing at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule.'' जहां तक याचिकार्थी के ह्रदय सम्बन्धी रोग से पीडित होने के कारण लम्बी दूरी की यात्रा नहीं किये जाने की चिकित्सकीय सलाह का सवाल है तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि याचिकार्थी को सिरोही जिले में ब्लॉक मुख्यालय (रेवदर) में ही स्थानान्तरित किया गया है जिससे उन्हें चिकित्सकीय सुविधाओं को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः गृह जिले में ही पदस्थापित रखे जाने की याचिकार्थी की मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। **श्री कमल कुमार शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/कमल शर्मा/15716/2019 दिनांक 26-11-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, सरकार, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।

4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री कमल कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सी.सी.ए.–17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच–प्रथम अनुभाग को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**

5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, चूरू।

6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सरदारशहर जिला चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।

7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।

8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।

9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।

10. श्री कमल कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।

11.निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)